प्रेषक: **   जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
शहीद मैमोरियल शिक्षा केन्द्र सिंघानी गाजियाबाद
अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय,
गाजियाबाद।

पत्रांक / शिविर/ 7520-21 /99-2000 दिनांक 27-11-99

विषय: अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु शर्तों का सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा §6§ अनुभाग संख्या 1873 /15-6-98 -13 एल §7§ /89 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1998 के संदर्भ में सूच्य है कि अस्थाई मान्यता की शर्तों को सरलीकरण किए जाने के आशय से शासनादेश संख्या 1073 /15-6-98-13 एल §7§ /89 दिनांक 13 मार्च 1998 के क्रम में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 13 उप धारा §1§ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से अस्थाई मान्यता के प्रकरणों में निम्न प्राविधान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

§क§ अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को दी गई अस्थाई मान्यता भी स्थाई प्रकृति की होगी तथा इस निमित्त प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

§ख§ अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों जिन्हें अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है को 5 वर्ष में स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार स्थाई मान्यता की शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर स्थाई मान्यता हेतु इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना सुनिश्चित करें निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि आपके द्वारा प्रतिबन्धों की पूर्ति कर स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं की गई तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इस निमित्त आपको इस कार्यालय स्तर से किसी पूर्व नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय

§ राणा एस0 के0 "सुमन" §
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

पृ0सं0/ शिविर/ 7520-21 /99-2000 दिनांक तद् ।

प्रतिलिपि सेवा में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

§ राणा एस0के0 सुमन §
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

~~शहीद मैमोरियल विद्या केन्द्र जू०हा० स्कूल~~
~~सिहानी (गा०बाद)~~

पत्रांक: शि०स०: 475 /93-94 दिनांक: 11-5-93

विषय: विद्यालय को "ब" श्रेणी की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6,7,8) की (ब) श्रेणी के मान्यता आवेदन पत्र पर मण्डलीय समिति द्वारा विचारोपरान्त "ब" श्रेणी की मान्यता शैक्षिक सत्र 1992-93 से प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा निदेशक (बेसिक) अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद के पत्रांक बे०शि०प०/14561-791/92-93 दिनांक 15-9-92 में दिये गये निर्देशानुसार न्यूनतम पदों के सृजन की स्वीकृति निदेशालय से प्राप्त करने हेतु निदेशालय के पत्रांक बे०शि०प०/मान्यता/8951-9034/91-92 दिनांक 3-8-91 में दिये गये निर्देशानुसार प्रपत्र पूर्ण कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आपके विद्यालय को "अ" श्रेणी की मान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब संस्थाधिकारी "अ" श्रेणी की सभी अर्हतायें पूर्ण कर लें। विद्यालय में मान्यता के प्रतिकूल कक्षायें संचालित करने, विभागीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने, मान्यता विषयक गलत सूचनायें पाये जाने, निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने तथा गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने पर उक्त मान्यता बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत समाप्त की जा सकती है।

भवदीय

(हाकिम सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।